FORM-A

न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम–सह– विशेष न्यायाधीश अनु0जाति/जनजाति, सिवान

उपस्थितः– सुशील कुमार त्रिपाठी, अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम

सत्र विचारण वाद सं0 314/2023

निर्णय दिनांक 27 नवम्बर, 2025

सी.आई.एस. सं.– 212529/2019

जी.आर. सं.– 2529/2019

प्राथमिकी संख्या– असांव थाना कांड सं0 66/2019

सूचक	बिहार राज्य द्वारा सूचक हरेश्याम प्रसाद
द्वारा प्रतिनिधित्व	श्री अक्षय कुमार यादव, विद्वान अपर लोक अभियोजक
अभियुक्त	कृष्णा यादव उर्फ सोनू यादव, उम्र 25 वर्ष पे. गरजू यादव, साकिन ग्राम–सरया, थाना–हुसैनगंज, जिला–सिवान
द्वारा प्रतिनिधित्व	श्री विकास कुमार पाण्डेय, विद्वान अधिवक्ता

FORM-B

घटना तिथि	**22.06.2019**
प्राथमिकी तिथि	**23.06.2019**
आरोप पत्र की तिथि	**20.04.2023**
आरोप गठन की तिथि	**07.03.2025**
साक्ष्य प्रारम्भ होने की तिथि	**19.03.2025**
निर्णय सुरक्षित रखने की तिथि	**21.11.2025**
निर्णय की तिथि	**27.11.2025**
दण्ड़ादेश की तिथि, यदि कोई हो	——

ACCUSED DETAILS

Rank of the Accused	Name of Accused	Date of Arrest	Date of release on Bail	Offences Charged with	Whether Acquitted or convicted	Sentence Imposed	Period of Detention Undergone during Trial for purpose of Section 428 Cr.P.C.
1	कृष्णा उर्फ सोनू यादव	02.03.2023	——	395, 397 भा.द. वि. एवं धारा 27 शस्त्र अधिनियम एवं धारा 3/4 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम	दोषमुक्त	अभियुक्त को दोषमुक्त किया गया	दोषमुक्त किए जाने के कारण अनुप्रयोज्य नहीं

निर्णय

1. प्रस्तुत आपराधिक वाद में उपरोक्त अभियुक्त के विरूद्ध भा.द.वि. की धारा 395, 397 एवं धारा 27 शस्त्र अधिनियम एवं धारा 3/4 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत आरोप गठित कर हिन्दी में पढ़कर इसे सुनाया वो समझाया गया, जिसे अभियुक्त के द्वारा इंकार किया गया और दोषी होने का अभिवाक् नहीं किया गया और विचारण किये जाने का दावा किया गया।

2. सूचक हरेश्याम प्रसाद के द्वारा दिये गये फर्दबयान के आधार पर संक्षेप में, अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि घटना दिनांक 22.06.2019 को समय करीब 02:05 बजे दिन में सूचक के भाई दीनानाथ सोनी एवं भतीजा सर्वेश सोनी एवं सर्वेश सोनी का भगीना आयुष सोनी, प्रिया ज्वेलर्स, शिवपुर सकरा मदेशिया मार्केट के पास अपना दुकान चला रहे थे उसी समय छः अज्ञात अपराधकर्मी दुकान में प्रवेश कर गये और सोने का जेवरात तथा चांदी लूटने लगे। जिसका विरोध उक्त तीनों व्यक्तियों ने किया और तीन अपराधकर्मी को दबोच लिया तथा शेष तीन अपराधकर्मियों ने अपने दोस्तों को बचाने के लिए अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर दिये। जिसमें सूचक के भतीजे सर्वेश सोनी को तीन गोली, जो पेट व छाती में लगा और उनके भाई दीनानाथ सोनी को दो गोली मारे। जिसमें एक गोली बायें जबड़े में और एक गोली जबड़े के नीचे गर्दन में लगा। तद्नुसार सूचक के द्वारा दिए गए फर्दबयान के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गयी।

3. सूचक के आवेदन के आधार पर असांव थाना कांड़ संख्या सं. 66/2019 दिनांक 23.06.2019, अंतर्गत धारा भा.द.वि. की धारा 395, 397 एवं धारा 27 शस्त्र अधिनियम एवं धारा 3/4 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम में दर्ज किया गया और मामले का अनुसंधान कार्य प्रारंभ किया गया। अनुसंधानकर्त्ता के द्वारा अनुसंधानोपरान्त घटना को सत्य पाते हुए आरोप पत्र सं. 35/2023, दिनांक 20.04.2023, को अभियुक्त कृष्णा उर्फ सोनू यादव के विरूद्ध भा.द.वि. की धारा 395, 397 एवं धारा 27 शस्त्र अधिनियम एवं धारा 3/4 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत कारित अपराध के लिए समर्पित किया गया। जिसके आधार पर विद्वान श्री अरविंद कुमार, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, सिवान द्वारा भा.द.वि. की धारा 395, 397 एवं धारा 27 शस्त्र अधिनियम एवं धारा 3/4 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत कारित अपराध के लिए संज्ञान दिनांक 28.04.2023 को लिया गया। इस कांड वाद को सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय पाते हुए विधिपूर्वक विद्वान अपर मुख्य न्यायिक दण्ड़ाधिकारी षष्टम्, सिवान के द्वारा सत्र न्यायालय में दिनांक 12.05.2023 को दौरा सुपूर्द किया गया।

4. प्रस्तुत आपराधिक वाद में अभियुक्त कृष्णा यादव उर्फ सोनू यादव के विरूद्ध भा.द.वि. की धारा 395, 397 एवं धारा 27 शस्त्र अधिनियम एवं धारा 3/4 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत आरोप का गठन किया गया है।

5. अभियोजन पक्ष की ओर से निवेदन करने पर अभियोजन साक्ष्य 17.11.2025 को बंद किया गया है।

6. अभियुक्त का बयान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा–313 के अंतर्गत बयान दिनांक 17.11.2025 को अभिलिखित किया गया जिसमें अभियुक्त ने

अभियोजन साक्ष्य कथन को गलत बताते हुए स्वयं को निर्दोष होने का दावा किया।

7. अब इस न्यायालय के समक्ष अवधार्य प्रश्न यह है कि अभियोजन पक्ष उक्त अभियुक्त के विरूद्ध गठित आरोप अंतर्गत धारा भा.द.वि. की धारा 395, 397 एवं धारा 27 शस्त्र अधिनियम एवं धारा 3/4 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम को सभी संदेहों से परे साबित करने में कहॉ तक सफल रहे है?

<u>मंतव्य</u>
<u>(Findings)</u>

8. अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत आपराधिक वाद में अभियोजन कथानक के समर्थन में कुल छः साक्षी को साक्ष्य हेतु परीक्षित कराया गया है, जो इस प्रकार है–पी.डब्लू.–1 दीनानाथ प्रसाद, पी.डब्लू.–2 संतोष प्रसाद, पी.डब्लू. –3 सखीचन्द्र पासवान, पी.डब्लू.–4 सर्वेश प्रसाद सोनी, पी.डब्लू.–5 आयुष कुमार सोनी एवं पी.डब्लू.–6 हरेश्याम प्रसाद हैं।

अभियोजन पक्ष द्वारा उपरोक्त मौखिक साक्ष्य के अलावे कोई दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

9. बचाव पक्ष द्वारा अपने बचाव में किसी भी मौखिक साक्षी का साक्ष्य तथा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

10. अभियोजन साक्षी संख्या–1 दीनानाथ प्रसाद ने अपने साक्ष्य के क्रम में मुख्यपरीक्षण में कहा है कि उन्हें दीनानाथ सोनी के नाम से भी लोग जानते हैं। घटना दिनांक 22.06.2019 की समय 02:10 बजे की है। बदमाश लोग आये और इनकी सोने–चांदी की दुकान में घुस गये और सोना–चांदी उठाकर बैग में भरने लगे। उसके बाद ये, इनके लड़के सर्वेश प्रसाद सोनी, आयुष कुमार सोनी ने विरोध किया और उसके बाद बदमाश लोग गोली और बम चलाये जो इन्हें लगा तथा इनके लड़के को तीन गोली लगी। इनलोगों का ईलाज सदर अस्पताल सिवान में हुआ। उसके बाद पटना पारस में भी ईलाज हुआ। उसके बाद दिल्ली में भी ईलाज हुआ। आज न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त को नहीं पहचानते हैं। पुलिस के समक्ष इनका बयान हुआ था।

अभियोजन पक्ष के द्वारा उक्त साक्षी को पक्षद्रोही साक्षी घोषित करवाकर प्रतिपरीक्षण किया गया है, किंतु अपने प्रतिपरीक्षण के क्रम में अभियोजन पक्ष कोई ऐसा तथ्य नहीं ला पाया है। जिससे कि उसके अभियोजन मामले को समर्थन मिलता हो।

उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण के क्रम में कहा है कि घटनास्थल पर अपराधकर्मी मुंह बांधे हुए थे और इन्होनें किसी को नहीं पहचाना। कौन बम चलाया, कौन गोली चलाया इन्हें कोई जानकारी नहीं है। पुलिस अपने मन से अपराधियों का नाम केस में दिया है। जो भी बयान दिया है वह अपने स्वेच्छा से दिया है बिना किसी जोर दबाव के।

11. अभियोजन साक्षी संख्या–2 संतोष प्रसाद ने अपने साक्ष्य के क्रम में मुख्यपरीक्षण में कहा है कि घटना जहां घटी थी, उसके बगल में इनकी दुकान है। इनका कपड़ा का दुकान है। घटना 22.06.2019 की समय 02:10

बजे की घटना है। छः–सात की संख्या में अपराधी आये और दीनानाथ सोनी के दुकान में
घुसकर लूटपाट करने लगे एवं दीनानाथ, सर्वेश प्रसाद सोनी, आयुष कुमार सोनी के विरोध करने पर अपराधकर्मी धमकी देने लगे। इन्होंने अपराधी को गोली व बम चलाते हुए नहीं देखा था। इन्होंने न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त को पहचानने से इंकार किया। पुलिस के समक्ष इनका बयान हुआ था।

अभियोजन पक्ष के द्वारा उक्त साक्षी को पक्षद्रोही साक्षी घोषित करवाकर प्रतिपरीक्षण किया गया है, किंतु अपने प्रतिपरीक्षण के क्रम में अभियोजन पक्ष कोई ऐसा तथ्य नहीं ला पाया है। जिससे कि उसके अभियोजन मामले को समर्थन मिलता हो।

उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण के क्रम में कहा है कि घटनास्थल पर अपराधकर्मी मुंह बांधे हुए थे और इन्होंने किसी को नहीं पहचाना। कौन बम चलाया, कौन गोली चलाया इनको कोई जानकारी नहीं है। पुलिस अपने मन से अपराधियों का नाम केस में दिया है। जो भी बयान दिया है वह अपने स्वेच्छा से दिया है बिना किसी जोर दबाव के।

12. अभियोजन साक्षी संख्या–3 सखीचन्द्र पासवान ने अपने साक्ष्य के क्रम में मुख्यपरीक्षण में कहा है कि 6 वर्ष पहले की घटना है समय 02:10 बजे की है। घटनास्थल से 1–2 कि.मी. दूरी पर इनका घर है। गोली की आवाज सुने। 7–8 बदमाश आये थे। दीनानाथ सोनी के दुकान में घुसकर लूटपाट करने लगे एवं दीनानाथ, सर्वेश प्रसाद सोनी, आयुष कुमार सोनी के विरोध करने पर अपराधकर्मी धमकी देते हुए व गोली चलाते हुए भाग गये। अपराधकर्मी मुंह बांधे थे। इन्होंने अपराधियों को नहीं पहचाना। पुलिस के समक्ष इनका बयान नहीं हुआ था। मुदालह को नहीं पहचाना।

अभियोजन पक्ष के द्वारा उक्त साक्षी को पक्षद्रोही साक्षी घोषित करवाकर प्रतिपरीक्षण किया गया है, किंतु अपने प्रतिपरीक्षण के क्रम में अभियोजन पक्ष कोई ऐसा तथ्य नहीं ला पाया है। जिससे कि उसके अभियोजन मामले को समर्थन मिलता हो।

उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण के क्रम में कहा है कि अपराधकर्मी को नहीं पहचानते हैं। कौन बम चलाया, कौन गोली चलाया इन्हें कोई जानकारी नहीं है। पुलिस के समक्ष इनका बयान नहीं हुआ था। जो भी बयान दिया है वह इन्होंने स्वेच्छा से दिया है बिना किसी जोर दबाव के दिया है।

13. अभियोजन साक्षी संख्या–4 सर्वेश प्रसाद सोनी ने अपने साक्ष्य के क्रम में मुख्यपरीक्षण में कहा है कि छः साल पहले की घटना है, समय दो बजे दिन की है। उस समय ये अपने दुकान पर थे। देखा कि कुछ अपराधकर्मी मोटरसाईकिल से आये और दीनानाथ सोनी के दुकान में घुसकर लूटपाट करने लगे एवं विरोध करने पर इनके पिता जी दीनानाथ सोनी को गोली लगी और इन्हें गोली लगी जिसमें तीन गोली पेट में और एक गोली इनके छाती में लगा। अपराधकर्मी गोली चलाते हुए भाग गये। इनलोगों का ईलाज सिवान सदर अस्पताल एवं पटना में भी हुआ। अपराधकर्मी मुंह बांधे थे।

इन्होंने मुदालह को पहचानने से इंकार किया।

उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण के क्रम में कहा है कि अपराधकर्मी को नहीं पहचानते हैं। कौन बम चलाया, कौन गोली चलाया इन्हें कोई जानकारी नहीं है। पुलिस के समक्ष इनका बयान नहीं हुआ था। जो भी बयान दिया है वह इन्होंने स्वेच्छा से दिया है बिना किसी जोर दबाव के।

14. अभियोजन साक्षी संख्या–5 आयुष कुमार सोनी ने अपने साक्ष्य के क्रम में मुख्यपरीक्षण में कहा है कि इनका सकरा बाजार में कपड़े की दुकान है। 22.06.2019 को 02:10 बजे दिन में बदमाश लोग आये और इनके नाना जी के दुकान में घुस गये और सोना–चांदी उठाकर भागने लगे। तब इन्होंने और सर्वेश प्रसाद सोनी तथा दीनानाथ सोनी ने विरोध किया और अपराधकर्मी गोली व बम चलाने लगे। इन्हें गोली छूकर निकल गई थी। गोली से चोट भी लगी थी। बम का छर्रा भी लगा था। इनका ईलाज सदर अस्पताल सिवान में हुआ था। सर्वेश का ईलाज पटना पारस में तथा अपोलो दिल्ली में भी हुआ। इन्होंने मुदालहगण को पहचानने से इंकार किया। ऐसी बात नहीं है कि इन्होंने जानबूझकर मुदालह को पहचानने से इंकार किया।

उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण के क्रम में कहा है कि पुलिस के समक्ष इनका बयान नहीं हुआ था। कौन–कौन बम या गोली चलाया, इन्हें इस बात की जानकारी नहीं है। इन्होंने कृष्णा यादव को पहचानने इंकार किया। घटनास्थल पर इन्होंने किसी भी मुदालहगण को पहचानने से इंकार किया। पुलिस ने उनसे अभियुक्तों की पहचान नहीं करायी। आज जो भी बयान दिया है वह इन्होंने स्वेच्छा से बिना किसी जोर दबाव के दिया है।

15. अभियोजन साक्षी संख्या–6 हरेश्याम प्रसाद ने अपने साक्ष्य के क्रम में मुख्यपरीक्षण में कहा है कि वह इस केस का सूचक है। घटना चार वर्ष पूर्व की है। समय दो बजे दिन की घटना है वह उस समय अपने घर मनिया में था। उनके भाई दीनानाथ प्रसाद सोनी के दुकान पर अपराधियों ने गोली चलायी और लूटपाट करने की कोशिश की, विरोध करने पर दीनानाथ, उनके पुत्र सर्वेश सोनी को गोली मार दिया गया और उन्हें जख्मी हालत में सिवान सदर अस्पताल लाया गया तथा दोनों को पटना रेफर कर दिया गया। अपराधियों ने मुंह बांधा हुआ था। इसलिए ये उनको पहचान नहीं सके। इस कांड के अभियुक्त जेल में है, जिन्हें इन्होंने पहचानने से इंकार किया। इनके द्वारा थाने में एक आवेदन दिया गया। जो इनके द्वारा लिखा हुआ नहीं था। आवेदन पर इनका दस्तखत किया हुआ था, जिसके आधार पर एफआईआर दर्ज हुआ था। पुलिस के समक्ष इनका बयान नहीं हुआ था।

उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण के क्रम में कहा है कि आवेदन इनके द्वारा नहीं लिखा गया था। उसमें लिखी बातों की व्यक्तिगत जानकारी इन्हें नहीं है। इनके भाई और भतीजा को किसने जख्मी किया, यह नहीं जानते। सभी अपराधी मुंह बांधे थे, इस कारण ये किसी को नहीं पहचान पाये। इन्होंने जो भी बयान दिया है वह स्वेच्छा से व बिना किसी जोर दबाव के दिया है।

16. अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत आपराधिक मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अनुसंधानकर्ता एवं चिकित्सक को साक्ष्य हेतु

न्यायालय में उपस्थित नहीं कराया जा सका है। अभियोजन पक्ष के निवेदन पर अन्य साक्षियों की उपस्थिति हेतु सभी प्रकार की आदेशिकाएं जारी की गयी है। किंतु अभियोजन पक्ष की ओर से अन्य किसी साक्ष्य को प्रस्तुत नहीं किया जा सका है।

17. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता की ओर से अपने बहस के क्रम में यह निवेदन किया कि अभियोजन की ओर से केवल छः साक्षी को परीक्षित कराया गया है। जिसमें अभियोजन साक्षी संख्या–1 दीनानाथ प्रसाद, अभियोजन साक्षी सं.–2 संतोष प्रसाद एवं अभियोजन साक्षी सं.–3 सखीचन्द्र पासवान ने अपने साक्ष्य के क्रम में मुख्य परीक्षण में ही घटना का समर्थन नहीं किया है जिसके कारण उक्त तीनों साक्षियों को अभियोजन पक्ष की ओर से उक्त दोनो साक्षियों को पक्षद्रोही साक्षी घोषित करवाकर प्रतिपरीक्षण किया गया है, किन्तु अभियोजन पक्ष अपने प्रतिपरीक्षण के क्रम में कोई ऐसा तथ्य नहीं ला पाया है, जिससे कि अभियोजन मामले को समर्थन मिलता हो। अभियोजन साक्षी सं.–4 सर्वेश प्रसाद सोनी ने अपने साक्ष्य के क्रम में मुख्यपरीक्षण में घटना का समर्थन किया है किंतु अपने प्रतिपरीक्षण के क्रम में इस तथ्य को स्वीकार किया है कि वह अपराधकर्मियों को नहीं पहचानता है। कौन बम चलाया, कौन गोली चलाया इन्हें कोई जानकारी नहीं है। पुलिस के समक्ष इनका बयान नहीं हुआ था। जो भी बयान दिया है वह अपने स्वेच्छा से दिया है बिना किसी जोर दबाव के। अभियोजन साक्षी सं.–5 आयुष कुमार सोनी ने अपने साक्ष्य के क्रम में मुख्यपरीक्षण में ही घटना का समर्थन किया है किंतु अपने प्रतिपरीक्षण के क्रम में कहा है कि पुलिस के समक्ष इनका बयान नहीं हुआ था। कौन–कौन बम या गोली चलाया इन्हें नहीं मालुम है। कृष्णा यादव को वह नहीं पहचानते हैं। घटनास्थल पर उपस्थित किसी भी मुदालहगण को पहचानने से इन्होंने इंकार किया है। पुलिस ने इनसे अभियुक्तों की पहचान नहीं करायी। इन्होंने जो भी बयान दिया है वह स्वेच्छा से बिना किसी जोर दबाव के दिया है। अभियोजन साक्षी सं.–6 हरेश्याम प्रसाद, जो कांड के सूचक है, ने अपने साक्ष्य के क्रम में मुख्यपरीक्षण में घटना का समर्थन किया है किंतु अपने प्रतिपरीक्षण के क्रम में कहा है कि आवेदन इन्होंने नहीं लिखा था। उसमें लिखी बातों की व्यक्तिगत जानकारी इन्हें नहीं है। इनके भाई और भतीजे को किसने जख्मी किया, वह नहीं जानते हैं। सभी अपराधी मुंह बांधे हुए थे, जिस कारण किसी भी अभियुक्त को पहचानने से इंकार किया गया। इन्होंने जो भी बयान दिया है वह स्वेच्छा से व बिना किसी जोर दबाव के दिया है। बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता की ओर से अपने बहस के क्रम में आगे यह भी निवेदन किया कि उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित सभी साक्षियों ने अपने साक्ष्य के क्रम में अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है और प्रस्तुत आपराधिक मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अनुसंधानकर्ता एवं चिकित्सक को साक्ष्य के रूप में न्यायालय में परीक्षित नहीं कराया जा सका है।

अंत में, बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता की ओर से अपने बहस के क्रम में यह भी निवेदन किया कि अभियुक्त को दोषसिद्ध होने हेतु अभिलेख पर समुचित साक्ष्य सामाग्री उपलब्ध नहीं है। अतः ऐसी परिस्थिति में बचाव

पक्ष के विद्वान अधिवक्ता की ओर से अभियुक्त को दोषमुक्त किए जाने की प्रार्थना की गयी।

18. अभियोजन पक्ष की ओर से अपने बहस के क्रम में यह निवेदन किया गया कि अभियोजन पक्ष की ओर से जिन साक्षियों को परीक्षित कराया गया है उन्होंने अपने साक्ष्य में अभियोजन कथानक का समर्थन किया है। अतः अभियोजन पक्ष अपने अभियोजन मामले को साबित करने में सफल रहा है।

19. उभय पक्ष के निवेदन के आलोक में अभिलेख पर उपलब्ध समस्त साक्षियों का सम्यक परीक्षण किया गया।

20. अभिलेख पर उपलब्ध समस्त साक्ष्यों की सम्यक समीक्षा करने पर यह न्यायालय पाती है कि अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित साक्षियों में से तीन साक्षी अभियोजन साक्षी संख्या–दीनानाथ प्रसाद, अभियोजन साक्षी सं.–2 संतोष प्रसाद एवं अभियोजन साक्षी सं.–3 सखीचन्द्र पासवान के द्वारा अपने साक्ष्य के क्रम में अभियोजन मामले का समर्थन नहीं करने के कारण उक्त तीनों साक्षियों को पक्षद्रोही साक्षी घोषित करवाकर अभियोजन पक्ष के द्वारा प्रतिपरीक्षण किया गया है, किंतु अभियोजन पक्ष अपने प्रतिपरीक्षण के क्रम में कोई ऐसा तथ्य नहीं ला पाया है, जिससे कि अभियोजन मामले को समर्थन मिलता हो। अभियोजन साक्षी सं.–4 सर्वेश प्रसाद सोनी ने अपने साक्ष्य के क्रम में मुख्यपरीक्षण में घटना का समर्थन किया है किंतु अपने प्रतिपरीक्षण के क्रम में कहा है कि अपराधकर्मियों को पहचानने से इंकार किया। कौन बम चलाया, कौन गोली चलाया इन्हें कोई जानकारी नहीं है। पुलिस के समक्ष इनका बयान नहीं हुआ था। जो भी बयान दिया है वह इन्होंने स्वेच्छा से दिया है बिना किसी जोर दबाव के। अभियोजन साक्षी सं.–5 आयुष कुमार सोनी ने अपने साक्ष्य के क्रम में मुख्यपरीक्षण में ही घटना का समर्थन किया है किंतु अपने प्रतिपरीक्षण के क्रम में कहा है कि पुलिस के समक्ष इनका बयान नहीं हुआ था। कौन बम या गोली चलाया इन्हें नहीं मालुम है। घटनास्थल पर उपस्थित किसी भी मुदालहगण को इन्होंने पहचानने से इंकार किया। पुलिस ने इनसे अभियुक्तों की पहचान नहीं करायी। इन्होंने जो भी बयान दिया है वह स्वेच्छा से बिना किसी जोर दबाव के दिया है। अभियोजन साक्षी सं.–6 हरेश्याम प्रसाद, जो कांड के सूचक है, ने अपने साक्ष्य के क्रम में मुख्यपरीक्षण में घटना का समर्थन किया है किंतु अपने प्रतिपरीक्षण के क्रम में कहा है कि आवेदन इनके द्वारा नहीं लिखा था। उसमें लिखी बातों की व्यक्तिगत जानकारी इन्हें नहीं है। इनके भाई और भतीजे को किसने जख्मी किया, वह यह नहीं जानते हैं। सभी अपराधी मुंह बांधे थे, जिस कारण वह किसी को नहीं पहचान पाये। इन्होंने जो भी बयान दिया है वह स्वेच्छा से व बिना किसी जोर दबाव के दिया है।

अभिलेख के अवलोकन से विदित है कि प्रस्तुत आपराधिक मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से घटना के संदर्भ में किसी भी प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, अन्वेषक तथा अन्य कोई स्वतंत्र साक्षी का साक्ष्य नहीं कराया गया है और न ही अभियोजन पक्ष की ओर से इस संबंध में कोई स्पष्टीकरण ही दिया गया है कि क्यों नही उक्त साक्षियों का परीक्षण कराया गया है।

अतः ऐसी परिस्थिति में प्रस्तुत मामला साक्ष्यहीन होकर रह गया है।

21. उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों, समस्त साक्ष्य विश्लेषण वो विवेचन से यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त कृष्णा यादव उर्फ सोनू यादव के विरूद्ध लगाए गए आरोप अंतर्गत धारा भा.द. वि. की धारा 395, 397 एवं धारा 27 शस्त्र अधिनियम एवं धारा 3/4 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम को सभी तर्कसंगत एवं उचित संदेहों से परे साबित करने में पूर्णतः असफल रहा है। अतः **अभियुक्त कृष्णा यादव उर्फ सोनू यादव** को उसके विरूद्ध लगाए गए आरोप अंतर्गत धारा भा.द.वि. की धारा 395, 397 एवं धारा 27 शस्त्र अधिनियम एवं धारा 3/4 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के अन्तर्गत निर्दोष पाकर दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्त कृष्णा यादव उर्फ सोनू यादव न्यायिक अभिरक्षा में हैं उनको न्यायिक अभिरक्षा से मुक्त किए जाने का आदेश दिया जाता है।

22. निर्णय दिनांकित एवं हस्ताक्षरित किया गया एवं खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया।

(लेखापित एवं शुद्धिकृत)
ह0/–
27.11.2025
(सुशील कुमार त्रिपाठी)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम
सिवान।

ह0/–
(सुशील कुमार त्रिपाठी)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम, सिवान।
27.11.2025

न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम–सह– विशेष न्यायाधीश अनु0जाति/जनजाति, सिवान

साक्ष्य का परिशिष्ट

अनुक्रमणिका

सत्र विचारण वाद सं0 314/2023

सी.आई.एस. सं.– 212529/2019

जी.आर. सं.– 2529/2019

प्राथमिकी संख्या– असांव थाना कांड सं0 66/2019

FORM-C

LIST OF PROSECUTION/DEFENCE/COURT WITNESS

A. Prosecution:-

Rank	Name	Nature of Evidence
P.W.-1	दीनानाथ प्रसाद	साक्षी
P.W.-2	संतोष प्रसाद	साक्षी
P.W.-3	सखीचन्द्र पासवान	साक्षी
P.W.-4	सर्वेश प्रसाद सोनी	साक्षी
P.W.-5	आयुष कुमार सोनी	साक्षी
P.W.-6	हरेश्याम प्रसाद	साक्षी (सूचक)

B. Defecne Witness, if any:-

Rank	Name	Nature of Evidence
D.W.-1	-	-

C. Court Witness, if any:-

Rank	Name	Nature of Evidence
-	-	-

LIST OF PROSECUTION/DEFENCE/COURT EXHIBITS

A. Prosecution:-

No.	Exhibit Number	Description
1	P1/PW3	

B. Defence:-

No.	Exhibit Number	Description
1.	-	-

C. Court Exhibits:-

No.	Exhibit Number	Description
-	-	-

D. Material Object:-

No.	Material Object Number	Description

ह0/–
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम
सिवान।
27.11.2025